न्यायालय सहायकल कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड RAS.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 36/2019

दायर तारीख :– 12.07.2019

1. गोपाल चौधरी पुत्र मन्नाराम चौधरी जाति जाट नि0 हिंगोनिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र गोपाल जाति जाट नि0 हिंगोनिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर
2. गुरूवचन पुत्र गोपाल जाति जाट नि0 हिंगोनिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 रा0टी0ऐ0

उपस्थित :– श्री लोकेश शर्मा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री प्रभूदयाल वर्मा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक 21/8/19

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी ख0नं0 729/692 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम डूंगरी प0ह0 जोरपुरा सुन्दरियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज है व आराजी का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की आराजी के लगते हुये ही अप्रार्थी सं0 2 की आराजी ख0नं0 804/692 व अप्रार्थी सं0 1 की आराजी ख0नं0 805/692 स्थित है प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की आराजी ख0नं0 805/692 स्थित है प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 की आराजी के पूर्व में एक ही नम्बर थे परन्तु उक्त खसरा नम्बरान का विभाजन होने से भिन्न भिन्न ख0नं0 अंकित किये जाकर उनके नाम खातेदारी दर्ज की गई। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 की आराजी के ख0नं0 अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजीयात का विभाजन होने के पश्चात् मौके पर सही रूप से सीमाकंन नहीं हो रखा है तथा विधि अनुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी अथवा सीमा मौके पर कायम नहीं है। मौके पर पत्थरगढी व पुख्ता सीमा कायम नहीं होने से तथा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 की आराजी का एक ही चक बना हुआ है अप्रार्थीगण अपनी आराजी का विधि अनुसार सीमाकंन किये बिना व पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये बिना अपनी आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान, रहन, हस्तान्तरण आदि करने पर आमादा है तथा दीगर व्यक्तियों को जबरन कब्जा करवाने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजीयात बिना सीमाकंन व पत्थरगढी करवाये दीगर व्यक्तियों को बेचान, रहन हस्तान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थी को इस प्रकार की असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.07.2019 को कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ विवादित आराजीयात पर आये तथा प्रार्थी के हिस्सें की आराजीयात को अपनी बताते

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

हुये बेचान रहन, हस्तान्तरण किये जाने का वार्तालाप करने लगे जिस पर प्रार्थी ने उनको ऐसा करने से मना किया तथा वादग्रस्त आराजीयात पर पुख्ता सीमाकन व सीमाचिन्ह कायम करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण इंकार हो गये तथा वादग्रस्त आराजीयात को बिना सीमाकन व पत्थरगढी करवाये बिना ही बेचान रहन हस्तान्तरण करने की धमकी दी इसलिए यह प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री प्रभूदयाल वर्मा ने वकालतनामा व जवाब प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया तथा अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने में हम अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है।
3. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75, नकल नक्शा ट्रेस की प्रतिया पेश की है।
4. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावे[illegible] विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। उक्त आराजी औधोगिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन से नामान्तकरण स्वीकार हुआ है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 21/8/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सांभरलेक

सहायक कलक्टर
सांभर लेक